जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.04.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना धनघटा*** पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता किसलावता पत्नी गन्ती बेलदार निवासी सुरैना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का० संतोष यादव, म०पीआरडी अंकिता चौहान।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6005 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 05 लोगो को भेजवाया गया अस्पताल- थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत बखिरा रोड नन्दौर से कालर द्वारा कार के अनियंत्रित होकर पेड़ मे टकराने जाने से कार सवार 05 लोगो (01. ज्योति सोनी पत्नी ओमप्रकाश 02. ध्रुवनाथ सोनी पुत्र सोमनाथ 03. ओमप्रकाश पुत्र रामसागर 4. गुड्डू पुत्र स्वामीनाथ 05. चिनका पुत्र जगदम्बा निवासीगण ग्राम व थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर) के दुर्घटना में घायल हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगो को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 प्रवीण कुमार, आ0 हरिशंकर गौड़, हो0चा0 उमेश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 149 वाहनों से 1,71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 149 वाहनों से 1,71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 148/2025 धारा 108 बीएनएस मे वाँछित अभियुक्त गणेश कुमार उर्फ मंकर पुत्र स्व0 भगेलू प्रसाद निवासी ठाकुरद्वारा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 23.04.2025 को थाना मेंहदावल पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी बहन को उक्त अभियुक्त द्वारा दिनाँक 21/22.04.2025 की रात मारपीट कर घर से निकाल दिया था। दिनाँक 23.04.2025 को मेरी बहन की लाश मोहिया पुल कुण्ड में तैरती मिली, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, का0 अनुराग सिंह।